FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0251 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 26/09/2025 20:46 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 11/08/2025 **Date To (दिनांक तक):** 24/09/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:05 बजे **Time To (समय तक):** 14:20 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/09/2025 **Time (समय):** 20:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 26/09/2025 20:46:48 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 17 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE STATION, KANOTA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** YOGENDRA SINGH RAJAWAT

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KALYAN SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1969 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SHRIRAMPURA TEEBA, POST PHALYAWAS, BASSI, BASSI(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SHRIRAMPURA TEEBA, POST PHALYAWAS, BASSI, BASSI(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BANE SINGH		पिता:MADAN LAL	1. ASI POLICE STATION,KANOTA,KANOTA,JAIPUR CITY

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	30000 रूपये भारतीय	30,000.00

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	चलन मुद्रा	30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 11.08.2025 को मन् अति0 पुलिस अधीक्षक नगर-प्रथम के पास एक व्यक्ति आया व अपना नाम योगेन्द्र सिंह राजावत उर्फ शैतान सिंह पुत्र स्व0 श्री कल्याण सिंह उम्र 56 वर्ष जाति राजपूत, निवासी श्रीरामपुरा, पोस्ट फाल्यावास, तहसील बस्सी, जिला जयपुर होना बताते हुए अपने पास से एक टाईप शुदा प्रार्थना पत्र मन् अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर प्रथम, जयपुर के नाम संबोधित है को पेश किया, जिसमें अंकित किया कि ''मेरे गांव के लच्छा राम बलाई के पुत्र व पुत्रियां जिनके नाम राजेन्द्र, निरंजन, यशोदा आदि है। उनकी गांव में शामलाती कृषि भूमि खसरा नं. 82 रकबा 0.3667 हेक्टेयर है। उक्त परिवार दिल्ली में निवासरत होने के कारण उक्त भूमि का मुखत्यारनामा मेरे नाम किया हुआ है। उक्त भूमि पर मेरे गांव के विक्रम सिंह, गोपाल सिंह, रामधन गुर्जर आदि द्वारा अतिक्रमण/कब्जे के बारे में पता चलने पर मैनें इन्हें सूचित किया तब हमनें एसीपी साहब बस्सी को इन विपक्षीगणों को पाबन्द कराने के लिए और हमारी जानमाल की सुरक्षा के लिए माह जून 2025 में रिपोर्ट दी थी। जिसकी जांच कानोता थाने के थानेदार श्री बनेसिंह कर रहे हैं। जिन्होनें मुझे उनके मोबाईल नम्बर 9166464810 से मेरे मोबाईल नं. 8290102425 पर दिनांक 08.08.2025 को फोन किया और बताया कि विक्रम सिंह राजावत पुत्र श्री गोपाल सिंह ने भी तेरे खिलाफ पुलिस थाना में परिवाद दिया है। श्री बनेसिंह थानेदार ने मेरे खिलाफ परिवाद को बन्द कराने के लिए और हमारे द्वारा दर्ज रिपोर्ट पर विपक्षी पार्टी को पाबन्द कराने के लिए मुझे थाने पर बुलाया है। मेरे थाने पर जाते ही थानेदार बने सिंह मुझसे रिश्वत की मांग करेगा। मैं श्री बनेसिंह थानेदार को रिश्वत नहीं देकर रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी उससे कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई उधार का लेन-देन है। कृपया कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाने पर दिनांक 11.08.2025 को परिवादी के साथ श्री मनु शर्मा कानि. 111 को भेजकर रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाने पर संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से 10,000 रूपये रिश्वत के तौर पर लेना पाया गया परन्तु परिवादी के कार्य से संबंधित वार्ता स्पष्ट नहीं होने के कारण रिश्वत मांग का पुनः सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर परिवादी को संदिग्ध आरोपी का पुनः फोन आने पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को सूचित करने की हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया। उसके बाद दिनांक 19.09.2025 को परिवादी योगेन्द्र सिंह राजावत उर्फ शैतान सिंह कार्यालय में उपस्थित आकर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को दिनांक 15.09.2025 को श्री बनेसिंह जी का फोन आने व विक्रम सिंह से राजीनामा लिखवाने तथा स्वयं के खिलाफ परिवाद को शामिल फाईल करने एवं थाने में आकर मिलने का कहना बताया। परिवादी ने घर पर काम होने व दूसरे दिन दिनांक 20.09.2025 को संदिग्ध आरोपी श्री बनेसिंह से थाने में जाकर मिलने का कहने पर श्री मनु शर्मा कानि0 को परिवादी के साथ भेजकर रिश्वत मांग सत्यापन करवाने पर संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत के 50,000 रूपये की मांग कर 30,000 रूपये की रिश्वत राशि लेना तय करना पाया गया। उसके बाद परिवादी ने दिनांक 23.09.2025 को संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली राशि की व्यवस्था होने तथा दिनांक 24.09.2025 को कार्यालय में आने की कहने पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने का निर्णय लिया जाकर स्वतंत्र गवाहान की तलबी की गई। इसके बाद दिनांक 24.09.2025 को तलब शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री हिमांशु मीना कनिष्ठ सहायक व श्री मनीष राय वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, 22 गोदाम तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर तथा परिवादी उपस्थित कार्यालय के पश्चात् परिवादी श्री योगेन्द्र सिंह राजावत उर्फ शैतान सिंह को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने 500-500 रूपये के 60 नोट कुल 30,000 रूपये मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को पेश करने पर नियमानुसार फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तैयार की गई। तत्पश्चात समय 1.20 पीएम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र मय श्री रामजीलाल उप निरीक्षक, श्री आशीष कुमार कानि0 208 श्री लालू सैनी कानि0 418, श्रीमति राजबाला महिला कानि0 495 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री हिमांशु मीना व श्री मनीष राय मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान जरिये सरकारी वाहन मय चालक के वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से आगरा रोड के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी श्री योगेन्द्र सिंह राजावत उर्फ शैतान सिंह को उसकी निजी कार से श्री बंशीधर कानि0 24 व मनु कानि. 111 के साथ कानोता पुलिस थाने से पहले मिलने की हिदायत देकर रवाना

किया गया। रवाना शुदा मन् अति0 पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान व हमराह जाप्ता के पुलिस थाना कानोता के पास साईड में सामरिया रोड पर पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री योगेन्द्र सिंह राजावत उर्फ शैतान सिंह भी श्री मनु कानि.111 व श्री बंशीधर कानि. 24 के साथ परिवादी के निजी वाहन से पहुंचे तथा परिवादी को आवश्यक हिदायत कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर संदिग्ध आरोपी से सम्पर्क करने हेतु पुलिस थाना कानोता जयपुर (पूर्व) के लिए रवाना किया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी आवश्यक हिदायत कर परिवादी के पीछे-पीछे रवाना किया तथा मन् अति0 पुलिस अधीक्षक भी पीछे-पीछे रवाना हुआ। इसके बाद परिवादी श्री योगेन्द्र सिंह राजावत उर्फ शैतान सिंह ने समय करीब 02.20 पीएम पर पुलिस थाना कानोता के मुख्य द्वार के थोडा अन्दर से पूर्व निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत लेन-देन का ट्रेप पार्टी को किया। जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के पुलिस थाना कानोता के मुख्य गेट के अन्दर परिवादी के पास पहुंचा व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी श्री योगेन्द्र सिंह राजावत उर्फ शैतान सिंह ने बताया कि कानोता थाना परिसर में बगल में मैन गेट के सामने बने कमरों की तरफ ईशारा कर बताया कि दाहिने तरफ बने कमरे के अन्दर कुर्सी पर बैठे श्री बनेसिंह थानेदार जी ने मुझसे अभी-अभी रिश्वत के 30,000 रूपये लिये हैं। जिस पर परिवादी श्री योगेन्द्र सिंह राजावत उर्फ शैतान सिंह को साथ लेकर मय हमराहीयान के थाना कानोता के मैन गेट के सामने बने कमरों के सामने अनुसंधान कक्ष लिखा हुआ है जिसके अन्दर बने कमरों में 1, 2, 3 लिखा हुआ है, कमरा नम्बर 3 के गेट पर बनेसिंह एएसआई पुलिस थाना कानोता जयपूर (पूर्व) लिखे कमरे में कुर्सी पर बैठे एक सादा वस्त्रों में बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यहीं श्री बनेसिंह थानेदार हैं, जिसने मुझसे अभी-अभी 30,000 रूपये रिश्वती राशि अपने बांये हाथ से प्राप्त कर अपनी टेबल की दाहिनी साईड की दराज में रख लिये। जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उससे परिचय पूछा तो उसने अपना नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री बनेसिंह पुत्र स्व. श्री मदनलाल, जाति जाटव, उम्र-58 साल, निवासी-प्लॉट नं.-3, ओम शिव विला प्रथम, जामडोली, आगरा रोड, लुनियावास, जयपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कानोता जयपुर (पूर्व) आयुक्तालय जयपुर होना बताया। परिवादी से प्राप्त किये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सरसरी तौर से सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। इसके पश्चात् आरोपी श्री बनेसिंह सहायक उप निरीक्षक से पूछा गया कि आपने परिवादी श्री योगेन्द्र सिंह राजावत उर्फ शैतान सिंह से अभी कुछ देर पहले किस बात के रूपये लिये है। जिस पर आरोपी बनेसिंह ने बताया कि मैनें योगेन्द्र सिंह से कोई रिश्वत राशि नहीं ली, बल्कि इसके द्वारा थाने में दर्ज करवाये गये परिवाद में विपक्षी पार्टी को पाबन्द करवाने की कहकर मुझे अभी थोडी देर पहले 30,000 रूपये मेरी टेबल पर रखकर चला गया, जिन्हें मैनें बांये हाथ में लेकर टेबल की दराज में रखने ही वाला था, इतने में आप लोगों के आ जाने पर मैनें वापस उक्त रिश्वति राशि दाहिने हाथ से टेबल पर रख दी। आज से करीब डेढ महिने पहले योगेन्द्र सिंह मेरे द्वारा बुलाने पर थाने पर आया था, उस वक्त भी योगेन्द्र सिंह मुझे विपक्षी पार्टी को पाबन्द कराने के लिए एवं स्वयं के खिलाफ पुलिस थाना कानोता में विक्रम सिंह द्वारा दर्ज करवाये गये परिवाद को फाईल करवाने के लिए 10,000 रूपये देकर गया था। इस पर मौजूद परिवादी ने श्री बनेसिंह सउनि के स्पष्टीकरण का खण्डन करते हुए बताया कि ये झूंठ बोल रहे है, मेरे द्वारा पुलिस थाना कानोता में माह जून 2025 में जमीन के विवाद को लेकर दर्ज करवाये गये परिवाद जिसमें मेरे गांव के श्री विक्रम सिंह राजपूत व श्री रामधन गुर्जर को पाबन्द करवाने के लिए तथा उनके द्वारा मेरे खिलाफ पुलिस थाना कानोता में दिये गये परिवाद को फाईल करवाने के लिए पूर्व में दिनांक 11.08.2025 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन 10,000 रूपये लिये थे तथा दिनांक 20.09.2025 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन 50 हजार रूपये की मांग करना तथा मेरे कुछ कम कराने की विनती करने पर 30 हजार रूपये लेना तय होने पर आज कुछ देर पहले मैनें थानेदार जी को मांग के अनुसार 30,000 रूपये दिये, जो इन्होने अपने बांये हाथ में लेकर अपनी टेबल की दाहिनी साईड की दराज में रख लिये। इसके बाद मैनें पुलिस थाने के मैन गेट के अन्दर से ट्रेप पार्टी को ईशारा कर दिया। इस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा पुनः श्री बने सिंह एएसआई से पूछा तो वह पूर्व की बातो को दोहराते रहे। इसके पश्चात् परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेपबॉक्स से दो साफ प्लास्टिक के गिलासो में पुलिस थाने से बोतल में स्वच्छ पानी मगंवाकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण के एक गिलास में बनेसिंह सउनि के दांहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रकार दूसरे मिश्रण के गिलास में बनेसिंह सउनि के बांये हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों मे आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद बनेसिंह सहायक उप निरीक्षक द्वारा अपनी सामने रखी टेबल पर रखे 500-500 रुपये के नोटों की गड्डी को गवाह श्री मनीष राय से उठवाये

जाकर दोनों गवाहान से कार्यालय बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो 500-500 रूपये के 60 नोट कुल 30,000 रूपये हुबहू वहीं नम्बरी नोट होना पाए गए। एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9FG 597436 2. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7AE 073862 3. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8FH 453101 4.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8DE 240217 5. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8DS 725352 6. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4FN 159762 7. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3SA 877757 8.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3KU 705097 9.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1EN 611857 10.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2LN 166476 11.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8LE 152697 12.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9WE 518098 13.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4BV 413900 14. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2BM 593940 15.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7GD 537873 16.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9LN 222254 17.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9AE 696986 18.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3EA 546930 19. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3MU 838837 20. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0CV 206241 21.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8BL 884984 22.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8VA 145370 23. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8RV 920641 24.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8HQ 654939 25. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4BK 948957 26. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3EG 788130 27. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2BA 354256 28.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6CB 781316 29.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7FF 778595 30.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2FV 251769 31.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6UE 783652 32.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7SG 696378 33.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6CH 487343 34.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0PR 480293 35. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2AH 532996 36.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4BH 883502 37.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7TB 058638 38.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2FW 458603 39.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2DV 180460 40.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5BV 299659 41.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5GK 079146 42.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9DH 566224 43.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1EU 909919 44.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7SM 813070 45.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3BE 611647 46.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9MM 241156 47.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4ES 142154 48.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1NL 714422 49.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3LM 569059 50.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9WF 761517 51.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2FF 612066 52. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5BR 078415 53.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0UL 234331 54.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5AK 764986 55.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3QN 351131 56.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4GW 051995 57.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3RQ 809906 58. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8PK 443610 59.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4BG 186331 60. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4DB 108811 उक्त बरामद शुदा 30,000/-रिश्वती नोटो को एक सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मोहर किया जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। इसके बाद ट्रेप बॉक्स से एक साफ प्लास्टिक का गिलास निकलवाकर कर उसमें साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात आरोपी के सामने रखी टेबल जिस पर से रिश्वति राशि बरामद हुई थी का धोवन लेने हेतु सफेद चिंदी से टेबल के उक्त स्थान को जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई को एक साफ कपडे की चिंदी से पौंछकर उस कपडे की चिंदी को गिलास के घोल में डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मोहर कर मार्क T-1, T-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त चिंदी को सफेद कपडे की थैली में डालकर शिल्ड मोहर कर मार्क ''C'' अंकित कर पैकिट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। इसके पश्चात श्री बनेसिंह सउनि से परिवादी श्री योगेन्द्र सिंह राजावत उर्फ शैतान सिंह द्वारा दिये गये परिवाद एवं उसके विरूद्ध थाने में दर्ज कराये गये परिवाद के बारे में पूछा तो योगेन्द्र द्वारा दर्ज करवाये गये परिवाद अपने कक्ष में बनी लोहे की रेक में रखी होना बताने पर उक्त लोहे की रेक से परिवादी द्वारा दर्ज करवाया गया परिवाद मिला तथा परिवादी के विरूद्ध दर्ज करवाये गये परिवाद के बारे में आरोपी एएसआई ने दफ्तर दाखिल करने बाबत रिपोर्ट बनाकर थाने में जमा कराना बताया। जिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना कानोता के नाम परिवादी से संबंधित सूचना/रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु पृथक से पत्र जारी किये जाने पर परिवादी श्री योगेन्द्र सिंह राजावत उर्फ शैतानसिंह व विक्रम सिंह द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं अन्य संबंधित रिकॉर्ड की छायाप्रति कार्यालय पुलिस थाना कानोता से प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये गये। ट्रेप कार्यवाही की वीडियोग्राफी विभागीय हैण्डी कैम द्वारा श्री मनु शर्मा कानि. 111 से करवाई

गई। समस्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी बनेसिंह सहायक उप निरीक्षक से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट तैयार किया गया तथा घटनास्थल का स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष निरीक्षण कर परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। उसके पश्चात बने सिंह स.उ.नि को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवा कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वती लेन-देन परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता के संबंध में अपनी नमूना आवाज देने बाबत् नोटिस दिये जाने पर आरोपी बनेसिंह सउनि ने अपनी नमूना आवाज देने से स्पष्ट इंकार किया। जिसकी फर्द प्राप्ति नमूना आवाज तैयार की गई। अब तक की कार्यवाही से आरोपी बनेसिंह सहायक उप निरीक्षक के विरूद्ध अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर बने सिंह सहायक उप निरीक्षक को हस्बकायदा पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात दिनांक 25.09.2025 को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार कर पृथक-पृथक डीवीडी तैयार की गई तथा हैश वैल्यू निकाली गई। ट्रेप कार्यवाही के दौरान की गई विडियोग्राफी की पृथक-पृथक नियमानुसार डीवीडी तैयार की गई तथा हैश वैल्यू निकाली गई। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान शील्डशुदा आर्टिकल्स पर लगाई गई सील की फर्द नमूना सील पृथक से तैयार आदि कार्यवाही की गई। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी बने सिंह सहायक उप निरीक्षक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग कर वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारिश्रमिक प्राप्त करने के आशय से परिवादी से उसके द्वारा पुलिस थाना कानोता में दर्ज करवाये गये परिवाद पर विपक्षी पार्टी को पाबन्द कराने के लिए तथा विपक्षी पार्टी द्वारा परिवादी के खिलाफ दिये गये परिवाद को फाईल कराने की ऐवज में परिवादी से दिनांक 11.08.2025 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन 10,000 रूपये रिश्वत के लेना तथा दिनांक 20.09.2025 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन 50,000 रूपये की मांग कर आरोपी द्वारा 30,000 रूपये रिश्वत राशि लेना तय कर दिनांक 24.09.2025 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन के दौरान आरोपी श्री बनेसिंह सहायक उप निरीक्षक द्वारा परिवादी से 30,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री बनेसिंह पुत्र स्व. श्री मदनलाल, जाति जाटव, उम्र-58 साल, निवासी-प्लॉट नं.-3, ओम शिव विला प्रथम, जामडोली, आगरा रोड, लुनियावास, जयपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कानोता जयपुर (पूर्व) आयुक्तालय जयपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। भवदीय, (भूपेन्द्र) अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम, जयपुर.....कार्यवाही पुलिस.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भूपेन्द्र अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम, जयपुर मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बनेसिंह पुत्र स्व. श्री मदनलाल, जाति जाटव, उम्र-58 साल, निवासी-प्लॉट नं.-3, ओम शिव विला प्रथम, जामडोली, आगरा रोड, लुनियावास, जयपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कानोता जयपुर (पूर्व) आयुक्तालय जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री छोटी लाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितिय जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 470 पर अंकित है। (डॉ. महावीर सिंह राणावत) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1427-30 दिनांक 26.09.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर, क्रम-1 2. उपायुक्त, मुख्यालय, जयपुर आयुक्तालय 3-उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Chhotee Lal Meena **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Singh Ranawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/09/2025 20:49:18

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER SINGH

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1967				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)